



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 3947/2026

शिवम

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं 3 अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता	: - राहुल सोनी, अजय कुमार सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं श्री राहुल सोनी और श्री अजय कुमार सिंह एवं राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री भानु प्रताप सिंह ने न्यायालय को सूचित किया है कि थाना- चांदा, जिला- सुल्तानपुर के निरीक्षक (अपराध) मोहम्मद तनवीर खान द्वारा शिकायतकर्ता के साथ-साथ पीड़िता को भी इस जमानत प्रार्थनापत्र के लंबित होने के संबंध में सम्यक सूचना दे दी गई है। लिखित सूचना की प्रति, जो शिकायतकर्ता और पीड़िता द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त की गई है, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
3. नोटिस की तामील के बावजूद शिकायतकर्ता या पीड़िता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। तदनुसार, इस जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की सहायता से किया जा रहा है।

4. प्रार्थी द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- चांदा, जिला - सुल्तानपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) एवं पाक्सो अधिनियम 5/6 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 078/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि अभियोजन वाद के अनुसार भी प्रार्थी की आयु लगभग 19 वर्ष है, जबकि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष, 1 महीना और 3 दिन है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी और पीड़िता के बीच घनिष्ठ संबंध थे और विवाह के बहाने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आगे यह आरोप लगाया गया है कि जब सूचनाकर्ता ने प्रार्थी के साथ पीड़िता के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो प्रार्थी और उसके परिजनों ने विवाह करने से इनकार कर दिया।

6. विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि अभियोजन वाद के अनुसार पीड़िता नाबालिग है और विधि के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिबंधित है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में, सूचनाकर्ता और उसके परिजनों ने विवाह के प्रस्ताव के साथ प्रार्थी के परिवार से संपर्क किया था, लेकिन प्रार्थी के परिवार ने इस आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि पीड़िता नाबालिग थी और उन्हें सूचित किया कि उसके वयस्क होने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस इनकार से व्यथित होकर, सूचनाकर्ता ने मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर प्रार्थी और उसकी मां को झूठा फंसाया है।

7. अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 30.03.2026 से जेल में है। आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और इसलिए, अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। तदनुसार, प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया जाए।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता और अन्य अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अभियोजन वाद का समर्थन किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी ने विवाह के बहाने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि पीड़िता निश्चित रूप से नाबालिग है और विधि के अंतर्गत बाल विवाह की अनुमति नहीं है।

9. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य संबंधित सामग्रियों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि स्वयं अभियोजन वाद के अनुसार पीड़िता नाबालिग है। प्रार्थी के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि विवाह के बहाने शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने और उसके परिजनो ने विवाह करने से इनकार कर दिया। चूंकि पीड़िता निश्चित रूप से नाबालिग है और विधि के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिबंधित है, तथा आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, प्रार्थी दिनांक 30.03.2026 से जेल में है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10. प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

11. प्रार्थी - **शिवम** को थाना- चांदा, जिला - सुल्तानपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) एवं पाक्सो अधिनियम 5/6 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 078/2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।
- (ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
- (vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

12. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा एवं विद्वान् अवर न्यायालय जमानत रद्द करने के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

राज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।